

तात्काळ / गोपनीय

क्र. पमसं/९(NGO)/७१३९/अशोकचक्र सिरीज(०८-२०१७)/५८/२०१७, -२७३ दिनांक २४/०३/२०१७

संदर्भ:- केंद्र शासन, गृह विभागाचे नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १८/१/२०१७-
पब्लिक, दिनांक-०९/०३/२०१७.

विषय:- सन २०१७ च्या स्वातंत्रदिनी जाहिर होण्याच्या अशोकचक्र सिरीज मधील
शौर्यपदक मंजूरीसाठी विहित नमुन्यात शिफारशी मागविण्याबाबत.

परिपत्रक :-

यासोबत संदर्भाधिन केंद्र शासनाच्या पत्राची प्रत जोडण्यात आली आहे.

सन २०१७ च्या स्वातंत्रदिनी (१५/०८/२०१७) जाहिर होणाऱ्या अशोक चक्र सिरीज मधील शौर्यपदकांकरीता केंद्र शासनाने विहित नमुन्यात शिफारशी मागविल्या आहेत. प्राप्त शिफारशी महाराष्ट्र शासना मार्फत केंद्र शासनास पाठवावयाच्या आहेत. संदर्भाधीन पत्राच्या अनुषंगाने सदर पदकासाठी शिफारस करताना नमूद घटनेबाबत सखोल छाननी करून खरोखरच पदकाच्या अटी पूर्ण होत असतील अशा घटनांबाबतचे प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रे शिफारशीसह योग्य मार्फतीने या कार्यालयास दिनांक १८.०४.२०१७ किंवा तत्पुर्वी पोहचतील अशा बेताने पाठवावीत. जेणेकरून शासनाकडून केंद्र शासनास विहित मुदतीत प्रस्ताव पाठविणे शक्य होईल दिनांक १८.०४.२०१७ नंतर प्राप्त होणाऱ्या शिफारशीचा विचार करण्यात येणार नाही. याची घटक प्रमुखांनी कृपया नोंद घ्यावी, ही विनंती.

ans

(राजकुमार व्हटकर)

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना),
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकरिता.

प्रति,

महासंचालक, अ.सी.बी. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,

सर्व पोलीस आयुक्त,

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.राज्य, पुणे

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

संचालक व अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, म.राज्य,पुणे

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, म.रा. मुंबई / लोहमार्ग, म.रा. मुंबई / प्रशिक्षण व खास पथके, म.रा. मुंबई / वाहतुक, म.रा. मुंबई / रा.रा. पो. बल, म.रा. मुंबई / दहशतवाद विरोधी पथक, म.रा. मुंबई.

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक (परिक्षेत्रीय / महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, म. राज्य, मुंबई / मोटार परिवहन पुणे / रा.रा.पो.बल पुणे / नागपूर / महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधनी, पुणे / न.वि.अ. नागपूर / फोर्स वन)

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र

सर्व पोलीस अधीक्षक (जिल्हा / रेल्वे / बिनतारी संदेश)

सर्व समादेशक, रा.रा.पो.बल गट १ ते १६

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये

प्राचार्य, गु.अ.प्र.वि. नाशिक

प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर

प्रत,


पोलीस उपअधीक्षक, संगणक कक्ष,

२. यांनी सदरील परिपत्रक महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या संकेतस्थळावर "पोलीस पदक, अशोक चक्र सिरीज" या शिर्षकाखाली प्रसिध्द करावे, तसेच प्रसिध्द केल्याच्या दिनांका पासून ६ महिने संकेतस्थळावर ठेवावे.

①

MOST IMMEDIATE

No.18 /1/2017-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(Public Section, Room No. 13)



North Block, New Delhi.
Dated 09th March, 2017.

To

09 MAR 2017

1. The Chief Secretaries of all State Governments.
2. Administrators of all UTs.
3. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. DGPs of all State Governments/UT Administrations.
5. DGs of CAPFs / RPF
6. Secretaries of all Ministries/Depts. of the Govt. of India.

Subject: **Recommendations for Ashoka Chakra series of Gallantry awards to be announced on Independence Day, 2017.**


Sir/Madam,

The Government of India has instituted several awards to honour individual acts of merit and gallantry. The idea behind instituting a system of awards and decorations is that the awards and decorations, which are tangible tokens of recognition of the service rendered by an individual, could act as a powerful incentive for greater efforts by that person and also serve as an example for others to emulate.

2. The Ashoka Chakra series of gallantry awards are amongst the highest gallantry awards of the country. These awards are given in three categories viz. *Ashoka Chakra* (awarded for most conspicuous bravery or some act of daring or pre-eminent valour of self sacrifice), *Kirti Chakra* (awarded for conspicuous gallantry) and *Shaurya Chakra* (awarded for gallantry). The awards are announced by the Government of India on the occasions of Republic Day and Independence Day every year. Besides the Defence personnel, civilian citizens of either sex in all walks of life, and members of Police Forces, Central Armed Police Forces and Railway Protection Force are also eligible for these awards.

3. It is the practice to invite nominations/recommendations for the gallantry awards twice every year from all State/UT Governments and Ministries/Departments of the Government of India. It has, however, been our experience that very few recommendations are received. This is despite the fact that various incidents of gallant acts performed by individuals are regularly reported in the print and electronic media. Such acts of bravery/gallantry go unrecognized in the absence of appropriate recommendation in their favour by the State Governments or other organizations to which the individual involved in the gallantry act, belongs. This matter therefore deserves its due attention.

Contd.p.2/-



4. You are, therefore, requested to send appropriate nominations/ recommendations for gallantry awards to be announced on **Independence Day-2017**. The recommendations are to be sent in the **enclosed proforma latest by 30th April, 2017**.

5. While finalizing the recommendations, the following points may be kept in view:-
- (i) It may be ensured that the person recommended for the award is bonafide and suitable candidate for the award.
 - (ii) Complete details of the gallantry act, including sequence-wise details of the steps taken by the person connected with the act, nature of risk involved, etc should be clearly mentioned in the recommendation. This should be properly corroborated by documents like FIR or other report from police authority.
 - (iii) A certificate about the verification of the Character and antecedents of the person recommended is forwarded in the enclosed format along with the recommendation, in the absence of which the recommendation will not be considered.
 - (iv) The gallant act for considering recommendations for Ashoka Chakra series of awards should have been performed not more than **two calendar years** ago from the date of occasion i.e. Independence Day in this case. not be beyond two calendar years from the date on which the act of Gallantry is performed. Therefore, recommendations for gallantry acts performed in the **calendar year 2016 and the calendar year 2017** may only be forwarded to this Ministry for consideration.
 - (v) The last date for receipt of the recommendations i.e. 30.04.2017 may be strictly adhered to.
 - (vi) Photograph and brief Life Sketch of the recommended person should also be sent.

Yours faithfully,


(V.K. Rajan)

Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23094376

3

(S)

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for recommendation of Ashoka Chakra Series of Gallantry Awards)

Part - A

1.	Full Name in English (In Block letter)	
2.	Full Name in Hindi	
3.	Designation, if employed	
4.	Date of Birth/Age	
5.	Name of employer with complete address, if any	
6.	Name of the Next-of-kin (In case of posthumous awards)	
7.	Relation-ship of Next-of-Kin with the awardee	
8.	Present Address (with telephone/fax/e-mail, if any for contact)	
9.	Permanent Address	
10.	Date of incident	
11.	Nature of act for which the recommendation made	
12.	Award recommended (i.e. Ashoka Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra)	
13.	Whether Posthumous Award	Yes/No
14.	Details of Gallantry series fo award received earlier, if any, with incident	Award: Year:
15.	Recommending authority (Complete Address/Telephone/Fax)	

PART-B CITATION

NB: Citation should be attached separately in the form of a write-up giving complete sequence-wise details of the gallantry act in about 200-250 words properly supported by documents like FIR or other report from police authority.

(4)

ASHOKA CHAKRA SERIES OF GALLANTRY AWARD

(Proforma for verification of the character & antecedents of the recommended person)

CERTIFICATE

It is certified that the character and antecedents of
Shri/Smt.* _____

have been verified and it is confirmed that nothing adverse has been reported against him/her.

(Signature)

Name & Designation of the Recommending Authority

Date:

*(Name, Father's Name and Address of the person recommended)

सं 18/1/2017-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग, कमरा न.13)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक : 9.3.2017

सेवा में,

09 MAR 2017

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
2. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ।
4. सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के पुलिस महानिदेशक।
5. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/ रेलवे पुलिस बल के महानिदेशक
6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव।

विषय : स्वतंत्रता दिवस, 2017 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों के लिए सिफारिशें भेजना।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार द्वारा सराहना और शौर्य के व्यक्तिगत कार्यों का सम्मान व्यक्त करने के लिए कई पुरस्कार प्रदान करने की परम्परा है। इन पुरस्कारों एवं सम्मानों की प्रणाली शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये पुरस्कार और सम्मान, जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को मान्यता प्रदान करने के प्रतीक-स्वरूप होते हैं, उस व्यक्ति के लिए और अधिक प्रयास करने का शक्तिशाली प्रेरक बन सकते हैं एवं दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी बनते हैं।

2. अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कार देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कारों में से हैं। ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं अर्थात् अशोक चक्र (यह अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य या साहसिक कार्य या उत्कृष्ट कार्य या आत्म-बलिदान के कार्य के लिए प्रदान किया जाता है), कीर्ति चक्र (यह अत्यधिक उत्कृष्ट शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है) और शौर्य चक्र (यह शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है)। इन पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार द्वारा हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। रक्षा कार्मिकों के अतिरिक्त, समाज के सभी क्षेत्रों के आम महिला या पुरुष और पुलिस बलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य भी इन पुरस्कारों की पात्रता के दायरे में आते हैं।

3. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से शौर्य पुरस्कारों के लिए हर वर्ष दो बार नामांकन/सिफारिशें आमन्त्रित करने की परम्परा रही है। तथापि, हमारा यह अनुभव रहा है कि बहुत कम सिफारिशें प्राप्त होती हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यक्तियों द्वारा शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने की विभिन्न घटनाएं नियमित रूप से उजागर की जाती हैं। जिन राज्य सरकारों या अन्य संगठनों से शौर्यपूर्ण कार्य किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित होता है, उनके द्वारा उसके लिए उचित सिफारिश न किए जाने के कारण शौर्य/बहादुरी के ऐसे कार्यों को मान्यता नहीं मिल पाती। अतः, इस मामले पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. अतः, आपसे अनुरोध है कि आप इस बार के स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त, 2017 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले शौर्य पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नामांकन/सिफारिशें भिजवाने का कष्ट करें। ये सिफारिशें संलग्न प्रपत्र में अधिक से अधिक 30 अप्रैल 2017 तक भेजी जानी हैं।

5. सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :-

(i) जिस व्यक्ति का नाम पुरस्कार के लिए संस्तुत किया जा रहा है वह वास्तविक है और पुरस्कार के लिए उपयुक्त है।

(ii) सिफारिश में संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए शौर्य के क्रमवार विवरण एवं उसमें अन्तर्निहित जोखिम की प्रकृति, आदि सहित शौर्य कार्य के सम्पूर्ण विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस प्राधिकारी की अन्य रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों के द्वारा ठीक प्रकार से संपुष्टि की जानी चाहिए।

(iii) जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जा रही है, उसकी सिफारिश के साथ उस व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बारे में संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र भेजा जाए जिसके न होने पर सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) अशोक चक्र श्रृंखला के लिए सिफारिश पर विचार करने हेतु शौर्य कार्य उक्त अवसर अर्थात् इस मामले में गणतंत्र दिवस से दो कैलेंडर वर्ष से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए। अतः केवल कैलेंडर वर्ष 2016 और कैलेंडर वर्ष 2017 में किए गए शौर्य कार्यों के लिए ही सिफारिशें इस मंत्रालय को भेजी जाएं।

:3:

- (v) सिफारिशों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 30.04.2017 का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (vi) सिफारिश किए गए व्यक्ति का फोटोग्राफ और संक्षिप्त जीवन वृत्त भी भेजा जाना चाहिए।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

वी.के. राजन

(वी. के. राजन)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 2309 4376

गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)

प्रपत्र

(अशोक चक्र श्रृंखला के शौर्य पुरस्कारों की सिफारिश के लिए प्रपत्र)

भाग-ख

1.	अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	हिन्दी में पूरा नाम (साफ अक्षरों में)	
3.	पदनाम, यदि दैनिकभोगी है तो	
4.	नियोक्ता का नाम और पूरा पता, यदि कोई हो	
5.	जन्म तिथि/आयु	
6.	निकटतम संबंधी का नाम (मरणोपरान्त पुरस्कार के मामले में)	
7.	पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ निकटतम संबंधों का रिश्ता	
8.	वर्तमान पता (टेलिफोन/फैक्स/ई-मेल सहित, यदि कोई हो)	
9.	स्थायी पता	
10.	घटना की तारीख	
11.	उस कार्य की प्रकृति जिसके लिए सिफारिश की गई है	
12.	पुरस्कार जिसकी सिफारिश की गई है (अर्थात् अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र)	
13.	क्या पुरस्कार मरणोपरान्त है	(हाँ/नहीं)
14.	पहले प्राप्त हुए शौर्य पुरस्कार श्रृंखला के पुरस्कारों का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष	
15.	सिफारिश करने वाला प्राधिकारी (पता/टेलिफोन/फैक्स)	

भाग-ख

प्रशास्तिपत्र

नोट करें: प्रशास्ति-पत्र शौर्यपूर्ण कार्य का 200-250 शब्दों में क्रमवार सन्पूर्ण विवरण देते हुए अलग से सलग्न किया जाना चाहिए और इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या पुलिस प्राधिकारी से प्राप्त कोई अन्य रिपोर्ट से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)

प्रपत्र

(जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई है उसके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रपत्र)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री _____

के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लिया गया है और यह पुष्टि की जाती है कि उनके खिलाफ किसी प्रतिकूल बात की सूचना नहीं है।

हस्ताक्षर

सिफारिश करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम

दिनांक:

(* जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई है उसका नाम, पिता का नाम और पता)